

## कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्राशि/SIQE/19538/2017/1131

दिनांक : 06-11-2018

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,  
स्कूल शिक्षा समस्त

- विषय:- दिनांक 13.11.2018 एवं 15.11.2018 को प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए आयोजित एसआईक्यूई सैटेलाइट प्रसारण (वीसी) के क्रम में।
- संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर का पत्रांक रा.स्कू.शि.प./जय/एसआईक्यूई/फा-60703/2018-19/8122 दिनांक 30.10.2018 एवं रा.स्कू.शि.प./जय/प्रशिक्षण/2018-19/7234 दिनांक 05.10.2018

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भित पत्रानुसार लेख है कि राज्य में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता के तहत स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्यूकेशन कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) को अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की विषयवार वीसी आयोजित की जाती है। जिसका सैटेलाइट प्रसारण आईसीटी तृतीय चरण, चतुर्थ चरण एवं अरनेट के द्वारा संचालित स्मार्ट प्लानरुम युक्त विद्यालयों में उपलब्ध संसाधन सैटेलाइट प्रसारण सुविधा एवं डोंगल के माध्यम से किया जाता है।

कक्षा 1 - 5 को अंग्रेजी एवं गणित विषय का अध्यापन कार्य कराने वाले शिक्षकों हेतु दिनांक 12.11.2018 को आयोज्य एसआईक्यूई वीसी प्रसारण अपरिहार्य कारणों से दिनांक 13.11.2018 को किया जाएगा। इसी प्रकार हिन्दी एवं पर्यावरण विषय का अध्यापन कराने वाले शिक्षकों हेतु प्रसारण पूर्व निर्धारित दिनांक 15.11.2018 को किया जाएगा।


उक्त प्रसारण कार्यक्रम में संबंधित गतिविधियों यथा विषयवार गतिविधि आधारित शिक्षण के विडियोज, अभिलेख संधारण, पैनल चर्चा, शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं उपयोग, योगात्मक आकलन, एसआईक्यूई सर्टिफिकेशन आदि सत्र प्रसारित किए जाएंगे। प्रसारण समय प्रातः 10:30 बजे से सायं 3:30 बजे तक रहेगा।

एसआईक्यूई वीसी प्रसारण की सफल क्रियान्विति हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश की पालना सुनिश्चित करें।

1. आमंत्रित शिक्षक निर्धारित वीसी प्रसारण केन्द्र पर ही सम्मिलित हो। शिक्षक स्वेच्छा से अन्य वीसी केन्द्र पर सम्मिलित नहीं हो। इस हेतु जिला स्तर से शिक्षकों को आवंटित किए गए वीसी केन्द्र पर वैचवार उपस्थिति हेतु पाबंद किया जावे। वीसी केन्द्र प्रभारी संस्थाप्रधान शिक्षकों की उपस्थिति निर्धारित पंजिका में दर्ज करें।
2. आईसीटी केन्द्र पर वीसी प्रभारी एवं संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि अन्य केन्द्र के शिक्षकों को अपने वीसी केन्द्र पर सम्मिलित नहीं करें और न ही उपस्थिति जारी करें।
3. प्राथमिक कक्षाओं को अध्यापन कार्य कराने वाले शिक्षक आवश्यक रूप से वीसी में दिए गए निर्देशों को डायरी में नोट कर वीसी संस्थाप्रधान से प्रमाणित करवाते हुए कक्षा शिक्षण में निर्देशों/सुझावों की क्रियान्विति करें।
4. सभी संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करें कि जो एक विषय समूह के सैटेलाइट प्रसारण में विद्यालय से अधिकतम दो शिक्षक (अर्थात् प्रति विषय एक शिक्षक) वीसी केन्द्र पर उपस्थित होंगे तथा आगामी दिवस वीसी की उपस्थिति एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रतिवेदन के अभाव में उनकी उपस्थिति का प्रमाणीकरण किया जाना संभव नहीं होगा।
5. वीसी केन्द्र प्रभारी को जिला एवं ब्लॉक स्तर से आवंटित विद्यालयों के शिक्षकों की सूची अविलम्ब उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित करें।
6. एसआईक्यूई वीसी के दौरान वीसी केन्द्र के संस्थाप्रधान पूर्णकालिक उपस्थिति दें। जिससे शिक्षकों को वीसी का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही वीसी से संबंधित कार्य की पूर्ण मॉनिटरिंग पीईईओ/संस्थाप्रधान द्वारा की जानी है।
7. आयोजक वीसी संस्थाप्रधान वीसी केन्द्र पर पर्याप्त बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक व्यवस्था से अधिक शिक्षक/संभागी होने की स्थिति में ब्लॉक/जिला अधिकारियों को पूर्व में ही लिखित सूचना प्रेषित कर दूरभाष से सूचित करें जिससे जिला/ब्लॉक कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।
8. एसआईक्यूई वीसी प्रसारण केन्द्रों पर निर्वाह प्रसारण की व्यवस्थाओं हेतु संबंधित आईसीटी प्रभारी को पाबंद करें।

9. एसआईक्यूई वीसी में डाइट प्रभारी, सगरत हैडटो:वर्ग, समस्त केआरपी, डीएसएफ की उपस्थिति संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें।
10. डाइट प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय तथा समस्त आरपी हेतु जिला स्तर से सघन मॉनिटरिंग कार्यक्रम पूर्व में ही तैयार किया जावे। जिससे अधिकतम प्रसारण केन्द्रों की मॉनिटरिंग की जा सके। इस हेतु जिला/ब्लॉक मुख्यालय से दूरस्थ केन्द्रों पर आवश्यक रूप से अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।
11. वीसी केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले पीईईओ को भी मॉनिटरिंग हेतु पाबंद किया जावे। जिससे सैटेलाइट प्रसारण कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति हो सके।
12. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान वीसी उपरान्त वीसी केन्द्रवार उपस्थिति निर्धारित प्रारूप में निदेशालय एवं, राज. स्कूल शिक्षा परिषद की मेल आईडी siqerajasthan.state2@gmail.com, rajssa.cce@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	दिनांक	जिला	ब्लॉक	वीसी केन्द्र	आमंत्रित शिक्षक	उपस्थित शिक्षक



(नथमल डिडेल)  
आई.ए.एस.


निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्राशि/SIQE/19538/2017/1132  
प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज. जयपुर
2. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
3. निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
5. निजी सहायक, निदेशक एससीईआरटी, उदयपुर
6. निजी सहायक, अति० राज्य परियोजना निदेशक, राज. स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
7. उपायुक्त द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
8. समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान
11. समस्त प्रधानाचार्य डाइट
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
13. समस्त पीईईओ/संस्थाप्रधान को देकर लेख है कि उक्तानुसार निर्धारित तिथियों में आयोज्य वीसी में विषयवार शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें एवं वीसी उपरान्त प्रतिवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करें।
14. अनुभाग अधिकारी (कम्प्यूटर) प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा को देकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
15. अनुभाग अधिकारी शालादर्शन/शाला दर्पण निदेशालय प्रा.शि./मा.शि., राज. बीकानेर को भेजकर लेख है कि शाला दर्शन/शाला दर्पण पर अपलोड करावें।
16. रक्षित पत्रावली




निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर



(श्याम सिंह राजपुरोहित)  
आई.ए.एस.

निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक : 06-11-18



निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर